प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 22.06.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 264/2026 धारा 3(1)/2(बी)(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. राधेश्याम पुत्र चौथी प्रसाद 02. चमन चौरसिया पुत्र मनीष चौरसिया निवासीगण अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 22.05.2026 को अलीनगर महुली से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
01. राधेश्याम पुत्र चौथी प्रसाद निवासी अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
02. चमन चौरसिया पुत्र मनीष चौरसिया निवासी अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास राधेश्याम
01- मु0अ0सं0 31/2026 धारा 317(2),317(4),317(5),112 बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
आपराधिक इतिहास चमन चौरसिया
01- मु0अ0सं0 31/2026 धारा 317(2),317(4),317(5),112 बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** व0उ0नि0 श्री परवेज अहमद, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 विजय गौतम, का0 अरविन्द यादव, का0 अजीत गुप्ता।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता लालचन्द्र पुत्र सोमई बेलदार साकिन सोनाड़ी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, रि0का0 सचिन कुमार मिश्र।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 202 वाहनों से 2,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 22.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 202 वाहनों से 2,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

कूटरचित व गलत तथ्य प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीर नगर के *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2023 धारा 419/420/120बी/467/468/471 भादवि व 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 12 पासपोर्ट अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र राम आशीष निवासी ग्राम बण्डा बाजार थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था। उक्त अभियुक्त संदीप कुमार उपरोक्त को अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। विदित हो कि दिनांक 21.06.2026 को इमिग्रेशन डिपार्टमेन्ट अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ महानगर के अधिकारीगण द्वारा जरिये ई-मेल से सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2023 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भावि० व धारा 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि० व धारा 12 पासपोर्ट अधि0 1967 थाना कोतवाली खलीलाबाद स०क0न0 से सम्बन्धित वांछित प्रकाश में आये अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र राम आशीष निवासी बण्डा बाजार थाना घनघटा जनपद संतकबीर नगर को विदेश जेडान से लखनऊ एयर पोर्ट आने पर ईमीग्रेसन डिपाटमेन्ट के अधिकारीगण द्वारा LOC के आधार पर पकडा गया है। इस सूचना से अवगत होने के पश्चात थाना कोतवाली खलीलाबाद पर नियुक्त उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार अभियुक्त उपरोक्त की न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु लखनऊ के लिए रवाना हुये थे। अभियुक्त उपरोक्त को लखनऊ एयर पोर्ट पहुँचकर ईमीग्रेशन डिपाटमेन्ट के अधिकारीगण से सम्पर्क करने पर ईमीग्रेशन डिपामेन्ट के अधिकारीगण से वार्ता कर अभियुक्त व्यक्ति संदीप कुमार उपरोक्त को पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किया गया। आज दिनाँक 22.06.2026 को साथ लेकर लखनऊ से थाना खलीलाबाद, संतकबीरनगर उपस्थित आये। अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी- एक अदद कुटरचित पासपोर्ट, एक अदद आपाती प्रमाण पत्र, एक अदद आधार कार्ड प्रस्तुत।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 02 अभियुक्तों को क्रमशः 05 वर्ष व 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 22.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को 05-03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 22.09.2019 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना धर्मसिहंवा पर अभियुक्तगण 01.मारुफ शेख पुत्र मजीबुल्लाह शेख 02. असगर अली पुत्र ऐनुल्लाह निवासीगण रजऊर थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री बब्बन प्रसाद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 97/2019 धारा 363/366/376 भादवि व ¾, 16/17 पाक्सो एक्ट थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त मारुफ शेख उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 363/366 भादवि व 11/12 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 02 माह साधारण कारावास, धारा 366 भादवि के अपराध में 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 3000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 03 माह साधारण कारावास तथा धारा 11/12 पाक्सो एक्ट के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माना (कुल 7000रु0) से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, उपरोक्त सजायें साथ साथ चलेंगी।

अभियुक्त असगर अली उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 363 भादवि व 11/12 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 02 माह साधारण कारावास तथा धारा 16/17 पाक्सो एक्ट के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 1000 रुपये के जुर्माना (कुल 3000रु0) से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, उपरोक्त सजायें साथ साथ चलेंगी।

□ *जनपद संतकबीरनगर, सराहनीय कार्य- ऑपरेशन कन्विक्शन* □

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 02 अभियुक्तों को क्रमशः 05 वर्ष व 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 22.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा द्वारा 02 अभियुक्तों को 05-03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 22.09.2019 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना धर्मसिहंवा पर अभियुक्तगण 01.मारुफ शेख पुत्र मजीबुल्लाह शेख 02. असगर अली पुत्र ऐनुल्लाह निवासीगण रजऊर थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री बब्बन प्रसाद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 97/2019 धारा 363/366/376 भादवि व ¾, 16/17 पाक्सो एक्ट थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त मारुफ शेख उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 363/366 भादवि व 11/12 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 02 माह साधारण कारावास, धारा 366 भादवि के अपराध में 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 3000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 03 माह साधारण कारावास तथा धारा 11/12 पाक्सो एक्ट के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माना (कुल 7000रु0) से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, उपरोक्त सजायें साथ साथ चलेंगी।

अभियुक्त असगर अली उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 363 भादवि व 11/12 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 02 माह साधारण कारावास तथा धारा 16/17 पाक्सो एक्ट के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 1000 रुपये के जुर्माना (कुल 3000रु0) से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, उपरोक्त सजायें साथ साथ चलेंगी।